सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 63/प्रा0पत्र/2022 | दायरा दिनांक :–07.04.2022

GCMS ID–2022/211

1. अर्जुनसिंह आ0 गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री रामेश्वर प्रसाद रेगर
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 15/05/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी खातेदारी की स्वामित्व एवं आधिपत्य की कब्जे शुदा भूमि खाता संख्या 5 की भूमि खसरा संख्या 663/453 रकबा 0.2995 हैक्टेयर व खाता संख्या 6 की कृषि भूमि खसरा संख्या 380 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 381 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, खसरा संख्या 447 रकबा 0.3885 हैक्टेयर, खसरा सख्ंया 491/541 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा सख्ंया 623/491 रकबा 0.4856 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.6024 हैक्टेयर वाके ग्राम डेरोली पटवार मण्डल मांगली कला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। प्रार्थी गरीब काश्तकार है जो मय परिवार कृषि कार्य पर निर्भर है। प्रार्थी उपरोक्त भूमियों पर निरन्तर, निर्बाध रूप से फसल जोता बोता एवं काटता चला आ रहा है। प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 623/491 रकबा 0.4856 हैक्टेयर व खसरा संख्या 663/453 रकबा 0.2995 हैक्टेयर की ऑनलाईन रिकॉर्ड में सहवन से गलत तरमीम अंकित हो गई तथा पुरानी तरमीम के मुताबिक तरमीम नही हो गई तथा तरमीम का आधार ही मुख्य रूप से कब्जा होता है, इसलिए प्रार्थी की भूमि की, की गई गलत तरमीम निरस्त करवाया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

गलत तरमीम को दुरूस्त करके सही तरमीम नहीं की गई तो आस पडोस काश्तकारों के मध्य तरमीम को लेकर वाद विवाद फिजुल होता रहेगा इसलिए गलत तरमीम को दुरूस्त करवाये जाने के अलावा प्रार्थी के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है। प्रार्थी की भूमि की वास्तविक कब्जे के अनुरूप जॉच रिपोर्ट मंगवायी जाकर सही तरमीम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.04.2022 को कम्प्युटर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस लेने पर गलत तरमीम की जानकारी हुई तब प्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरमीम को निरस्त कर सही तरमीम अमल दरामद करने का अनुरोध किया तो बताया कि बाद न्यायालय आदेश के ही गलत तरमीम को दुरूस्त किया जा सकेगा इसलिए प्रार्थी के पास उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सिवाय अन्य कोई कानूनी उपचार नहीं रहा है। अन्दर अवधी प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त गलत तरमीम के ऑनलाईन इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम डरोली की भूमि खसरा संख्या 623/491 व 663/453 की अंकित गलत तरमीम को निरस्त कर कब्जे के अनुरूप तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :—राजस्व/25/866 दिनांक 23.04.2025 अनुसार ग्राम डेरोली के खाता संख्या 6 में से खसरा संख्या 623/491 रकबा 0.4856 हैक्टेयर पर प्रार्थी के कब्जे अनुसार ही तरमीम हो रही है उक्त खसरा नम्बर की तरमीम में कोई दुरूस्ती नही होनी है, खाता संख्या 5 ग्राम डेरोली के खसरा नम्बर 663/453 रकबा 0.2995 हैक्टेयर की नक्शे में आकृति सीढीनुमा बनी हुई है व मौके पर सीढीनुमा नहीं होकर सीधी है उसी अनुसार प्रार्थी का कब्जा है, नजरी नक्शे में प्रस्तावित तरमीम अनुसार तरमीम शुद्धि की जानी है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।''

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 623/491 व 663/453 की तरमीम दुरूस्ती बाबत पेश किया है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के खसरा संख्या 623/491 की तरमीम में कोई शुद्धि अपेक्षित नहीं है। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि वाके डेरोली पटवार मण्डल मांगलीकला के खाता संख्या 5 के खसरा संख्या 663/453 की वर्तमान में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 5 के खसरा संख्या 663/453 रकबा 0.2995 हैक्टैयर वाके ग्राम डेरोली पटवार मण्डल मांगलीकला की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खाता संख्या 5 के खसरा संख्या 663/453 की तरमीम प्रार्थी के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 15.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

15/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446